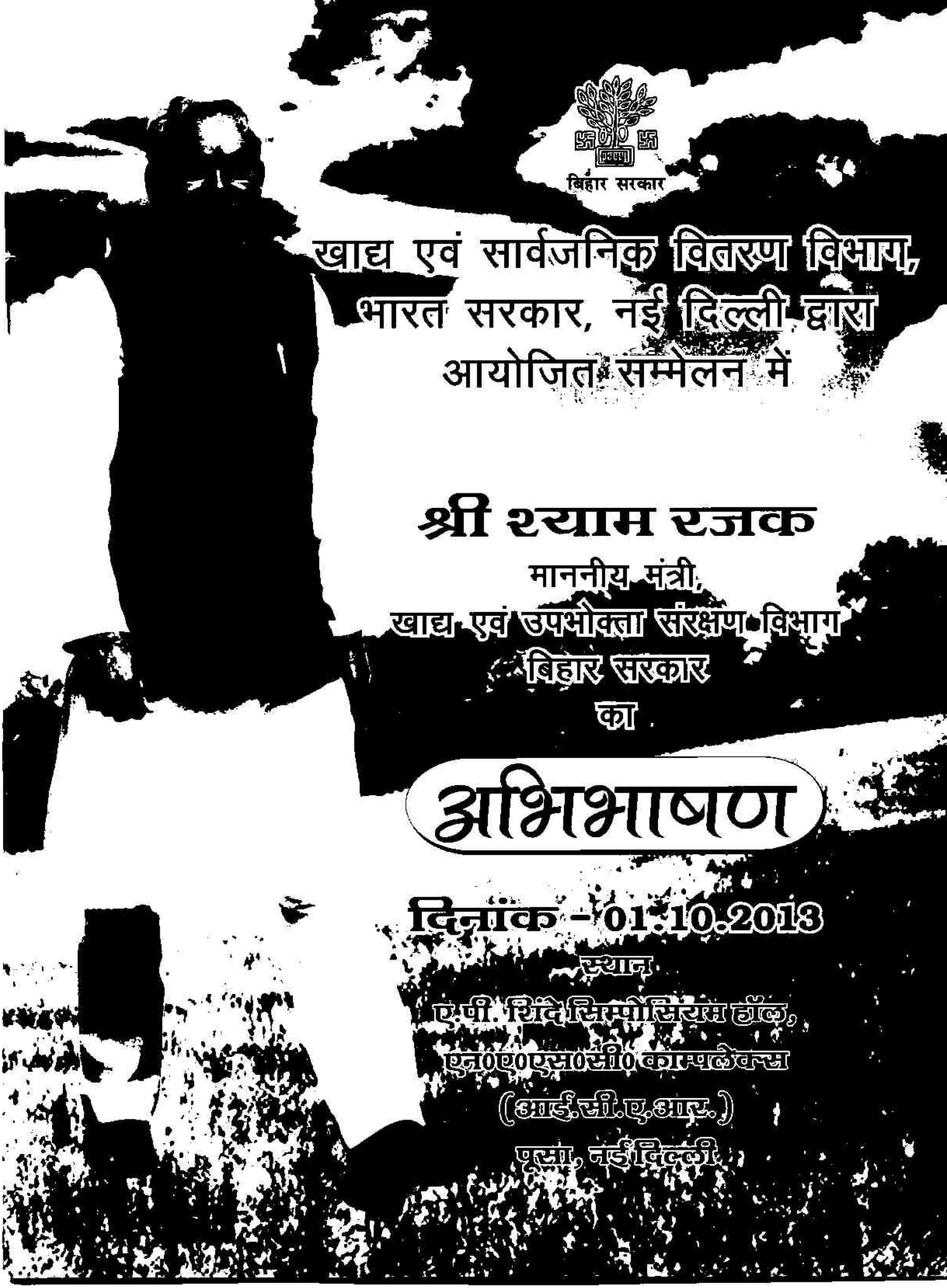

बिहार सरकार

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा आयोजित सम्मेलन में

श्री श्याम रजक

माननीय मंत्री,
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
बिहार सरकार
का

अभिभाषण

दिनांक - 01.10.2013

स्थान

ए.पी. शिंदे सिम्पोसियम हॉल,
एन0ए0एस0सी0 कॉम्पलेक्स
(आई.सी.ए.आर.)
पूसा, नई दिल्ली

दिनांक 01 अक्टूबर, 2013 को नई दिल्ली में खाद्य मंत्रियों के सम्मेलन में श्री श्याम रजक, माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार का अभिभाषण

महाशय, सबसे पहले मैं माननीय खाद्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने देश में खाद्य सुरक्षा अधिनियम प्रभावी होने के पश्चात इससे जुड़ी हुई व्यावहारिक समस्याओं पर विचार–विमर्श के लिए हम सभी को आमंत्रित किया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस सम्मेलन के माध्यम से खाद्य सुरक्षा कानून के प्रावधानों को और भी बेहतर ढंग से कार्यान्वित करने में हम सफल होंगे। संसद के पिछले दिनों समाप्त हुए सत्र में लोक सभा एवं राज्य सभा द्वारा पारित किये जाने के बाद अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 प्रभावी हो गया है। लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत पात्र व्यक्तियों को अनुदानित दर पर खाद्यान्न प्राप्त करने के अधिकार के तहत अनुमान्यता की विस्तार की सीमा राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण जनसंख्या का 75 प्रतिशत एवं शहरी क्षेत्रों में 50 प्रतिशत रखी गई है। इस संदर्भ में वर्ष 2011 की जनसंख्या के आधार पर बिहार राज्य के अन्तर्गत ग्रामीण जनसंख्या का 85.12 प्रतिशत एवं शहरी जनसंख्या का 74.53 प्रतिशत को खाद्यान्न प्राप्त करने के अधिकार के तहत अनुमान्यता की विस्तार की सीमा निर्धारित की गई है। इस प्रकार राज्य की कुल आबादी दस करोड़ अड़तीस लाख में ग्रामीण जनसंख्या सात करोड़ तेरासी लाख एवं शहरी जनसंख्या 87. 42 लाख को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत गरीमामय जीवन व्यतीत करने के लिए सस्ती कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तायुक्त खाद्य की सुलभ्यता सुनिश्चित होगी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लागू होने के पश्चात् राज्य को प्रति माह लगभग 4 लाख 50 हजार मे0टन खाद्यान्न की आवश्यकता होगी।

आप अवगत है कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत समाज के वंचित वर्ग को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने हेतु भारत सरकार के प्रयास में प्रारंभ से ही बिहार सरकार द्वारा सार्थक सुधार का सुझाव नियमित रूप से दिया जाता रहा है। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक, 2011 के प्रारूप सुत्रण के उपरान्त अनेकों बार कई स्तरों पर माननीय मुख्य मंत्री, बिहार द्वारा विधेयक के कई त्रुटियों के निराकरण हेतु

सुविचारित मंतव्य से अवगत कराया गया है। समय–समय पर भारत सरकार को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक, 2011 में सन्निहित त्रुटियों से अवगत कराया गया कि भारत सरकार उनका निराकरण करेगी ताकि इस विधेयक की सार्थकता सामने आये और विधेयक के प्रावधानों को सफलतापूर्वक लागू किया जा सके।

पूर्व में खाद्य सुरक्षा विधेयक से जुड़े सभी पहलुओं पर राज्य सरकार के मंतव्य से सम्बन्धित एक विस्तृत प्रस्तुतीकरण उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण पर संसद की स्थायी समिति के बिहार दौरे के दौरान उनके सम्मुख दिया गया था। हम अवगत है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में हमारे द्वारा उठाए गये कुछ प्रमुख मुद्दों पर संज्ञान लिया गया है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में हमारी चिन्ताओं के मद्देनजर पात्र परिवार हेतु मात्र एक श्रेणी यथा– "पूर्वीकताप्राप्त श्रेणी" (Priority house hold) के व्यक्तियों के लिए समान रूप से प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 5 Kg. की अनुमान्यता की गई है। सिर्फ अन्त्योदय अन्न योजना के तहत 35 Kg. प्रति परिवार प्रतिमाह की अनुमान्यता को पूर्व की भाँति बरकरार रखा गया है।

राज्य सरकार द्वारा दिये गये सुझाव के अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में राष्ट्रीय पैमाने पर ग्रामीण आबादी के 75% तथा शहरी आबादी के 50% को सम्मिलित वर्ग में रखने के साथ ही राज्यों के द्वारा सम्मिलित करने के अनुपात के निर्धारण की अलग व्यवस्था की गई है।

राज्य सरकार द्वारा दिये गये सुझावों के आलोक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में भारत सरकार द्वारा किये गये सुधारों के अतिरिक्त कतिपय महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन्हें शामिल नही किया गया है।

1. राज्य सरकार द्वारा लाभुकों के पारदर्शी तरीके से पहचान, सत्यापन अद्यतीकरण एवं प्रकाशन हेतु एक स्वतंत्र आयोग/निकाय के गठन के सम्बन्ध में दिये गये सुझाव को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में आंशिक रूप से तरजीह दी गई है। स्वतंत्र आयोग/निकाय के गठन के सुझाव को पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया गया है, परन्तु इसमें राज्यों को यह स्वतंत्रता प्रदान की गई है कि वे राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप अपने तरीके से लाभुकों की पहचान कर सके।

2. राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित राष्ट्रीय एवं राज्य खाद्य आयोग में दो महिलाओं, एक अनु0जाति एवं एक अनु0जनजाति के अतिरिक्त एक अन्य पिछड़ा वर्ग एवं एक अल्प संख्यक समुदाय के सदस्यों को शामिल करने का सुझाव दिया गया था। इन सात सदस्यों में से कम से कम पाँच ग्रामीण पृष्ठभूमि से शामिल करने का सुझाव दिया गया था, परन्तु इस सुझाव को नजरअंदाज किया गया है।
3. राज्य सरकार का यह सुझाव था कि चूँकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम केन्द्र सरकार द्वारा प्रस्तावित योजना के आधार पर लाया गया है इसलिए इसके क्रियान्वयन पर आने वाले अतिरिक्त वित्तीय बोझ का वहन केन्द्र सरकार द्वारा किया जाना चाहिए जिस प्रकार केन्द्र सरकार लक्षित जन वितरण प्रणाली पर होने वाले व्यय का पूर्व से वहन करती आ रही है। परन्तु उक्त अधिनियम में राज्य सरकार द्वारा समान रूप से अतिरिक्त वित्तीय बोझ वहन किये जाने की व्यवस्था की गई है जो उचित नही है।

बिहार सरकार द्वारा किये गये अनुमानित आकलन के अनुसार राज्य सरकार पर काफी अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा।

1. खाद्यान्न की बढ़ी हुई मात्रा के भंडारण हेतु अतिरिक्त भंडारण क्षमता की आवश्यकता को अविलम्ब पूरा करने हेतु 1500 करोड़ रूपये का अतिरिक्त व्यय आएगा।
2. राज्य में 60,000 जन वितरण प्रणाली की दुकानों तक डोर स्टेप डिलीवरी पर 600 करोड़ प्रति वर्ष का व्यय आएगा। इसमें उक्त अधिनियम के आलोक में बढ़े हुए परिवारों के लिए अतिरिक्त दुकान खोलने का व्यय भी सम्मिलित है।
3. जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को दिया जाने वाला कमीशन जो वर्त्तमान में लाभुकों द्वारा खाद्यान्न की कीमत के साथ ही भुगतान किया जाता है, पर लगभग 400 करोड़ का अतिरिक्त वार्षिक व्यय संभावित है।
4. भारत सरकार को जन वितरण प्रणाली के end to end computerization पर होने वाले सम्पूर्ण व्यय का वहन करना चाहिए जो वर्तमान में केन्द्र एवं राज्य सरकार के बीच 50:50 प्रतिशत साझेदारी से किया जाना है ।

राज्य सरकार द्वारा गरीबों के लिए खाद्य सुरक्षा की अवधारणा का प्रारम्भ से ही समर्थन किया जाता रहा है परन्तु लाभुकों को चिन्हित् करने की प्रकिया, राष्ट्रीय

एवं राज्य स्तरीय खाद्य आयोग में ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व देने एवं खाद्य सुरक्षा के कियान्वयन के कम में राज्यों पर पड़ने वाले अतिरिक्त वित्तीय बोझ के संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर असहमति व्यक्त की गयी है ।

चूंकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 प्रभावी हो गया है अतः इसके कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकार द्वारा कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। राज्य सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों को पूर्ण रूप से लागू करने हेतु प्रयास किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत सबसे महत्वपूर्ण प्रारंभिक तैयारी पात्र परिवारों की पहचान है। पात्र परिवारों की पहचान करने हेतु एक राज्य स्तरीय समिति का गठन प्रक्रियाधीन है। इसके गठन के पश्चात् तार्किक मानक का निर्धारण किया जाएगा जिसे समाचार पत्र/इलेक्ट्रानिक मिडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार कर निर्धारित समय–सीमा के अन्तर्गत जिला एवं राज्य स्तर पर आम–जनों से सुझाव/आपत्ति प्राप्त की जाएगी। इसके पश्चात् SECC द्वारा प्राप्त परिवारों की अंतिम सूची के आधार पर पात्र परिवारों की औपबंधिक सूची विनिर्दिष्ट तरीके से प्रकाशित की जाएगी। SECC के अन्तर्गत अपनाई गयी प्रक्रिया को अपनाते हुए प्रत्येक स्तर पर सक्षम पदाधिकारी द्वारा औपबंधिक रूप से प्रकाशित सूची पर सुनवाई होगी एवं SECC द्वारा अंतिम सूची तैयार होने के एक माह के अन्दर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत पात्र परिवारों की अंतिम सूची तैयार कर बेवसाईट एवं जन साधारण के बीच प्रचारित किया जाएगा ।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत पात्र परिवारों की पहचान के पश्चात लाभुक परिवारों को नया राशन कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा जिसमें धारा– 13 के प्रावधानों को समाहित किया जाएगा । इसके तहत SECC software में ही राशन कार्ड के साथ–साथ मुद्रण का भी प्रावधान किया जा रहा है। राशन कार्ड में वांछित सभी आवश्यक सूचना SECC के Database में उपलब्ध है। मात्र वार्ड/पंचायत में उपलब्ध जन वितरण प्रणाली की सूचना संग्रहित की जानी है। बढ़े हुए परिवारों हेतु राज्य सरकार द्वारा पूर्व में लिये गये निर्णय के आलोक में अतिरिक्त राशन दुकानों की अनुज्ञप्ति, पैक्स, स्वयं सहायता समूह, पूर्व सैनिकों की सहकारी समितियों, उपभोक्ता सहकारी भंडार एवं महिला सहकारी समितियों को निर्गत करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।